अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित के समक्ष

कैलाश चंद और एक अन्य, अपीलकर्ता

बनाम

नंद लाल पुटला और अन्य, याचिकाकर्ता

1968 के आदेश संख्या 105 से पहली अपील

9 नवंबर, 1970

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X) - धारा 6, 8 और 33 - एक साझेदारी विलेख जिसमें मध्यस्थता खंड होता है - एक भागीदार की मृत्यु - क्या मध्यस्थता समझौते का निर्वहन करता है - किसी विशेष विवाद का दावा करने वाला पक्ष मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है - ऐसा दावा - क्या अदालत द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना है और मध्यस्थता को संदर्भित नहीं किया जाना है।

अभिनिर्धारित किया कि, जहां साझेदारी विलेख में एक मध्यस्थता खंड होता है, साझेदारी के भागीदार की मृत्यु पर, मध्यस्थता समझौते का निर्वहन नहीं किया जाता है। यह मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और उनके खिलाफ दोनों लागू करने योग्य है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 6 इस बिंदु पर काफी स्पष्ट है और यह कहती है कि मध्यस्थता समझौते का निर्वहन किसी भी पक्ष की मृत्यु से नहीं किया जाएगा, या तो मृतक या किसी अन्य पक्ष का सम्मान करते हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उसके खिलाफ लागू किया जाएगा। (अनुच्छेद 15)

अभिनिर्धारित किया कि, कि जब कोई पक्ष दावा करता है कि किसी विशेष विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मध्यस्थता समझौते से बाहर है, तो यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह उस मामले का फैसला करे और उस पर फैसला सुनाने के लिए मध्यस्थ पर न छोड़े। न्यायालय के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही कि विवाद को कानून में निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है, फिर इसे इस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है। (अनुच्छेद 17)

पानीपत के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री आरडी अनेजा के न्यायालय के दिनांक 3 अप्रैल, 1968 के आदेश से प्रथम अपील, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना आवेदन को खारिज कर

दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से रूप चंद और एस. एस. महाजन।

आर. के. अग्रवाल, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति पंडित– 1. यह आदेश 1968 के आदेश, संख्या 105 और 1968 के सिविल संशोधन संख्या 568 से प्रथम अपील का निपटारा करेगा। ये दोनों मामले निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न हुए हैं -

2. पानीपत, जिला करनाल के वकील सोम नाथ ने अपनी विधवा श्रीमती राज रानी को बेदखल करने के बाद अपनी सारी संपत्ति पंजाब विश्वविद्यालय को वसीयत से दे दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय ने इसके बारे में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। आरोप है कि मरने से पहले वह कैलाश चंद मदन मोहन और नंद लाल के साथ मिलकर तहसील पानीपत के गांव उरलाना खुर्द में खेती का कुछ कारोबार कर रहा था। कहा जाता है कि साझेदारी का एक विलेख भी 22 जून, 1962 को निष्पादित किया गया था। खरीफ 1962 से रबी 1964 तक फसलों के खातों के निपटान के संबंध में भागीदारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। चूंकि साझेदारी के विलेख में एक मध्यस्थता खंड संख्या 16 था, इसलिए उक्त विवाद को शेर सिंह, मध्यस्थ को भेजा गया था, जिसने 11 जून, 1964 को अपना निर्णय दिया था। उस अधिनिर्णय को अगले दिन अर्थात् 12 जून, 1964 को न्यायालय का नियम बना दिया गया। 31 अक्टूबर, 1964 को सोम नाथ का निधन हो गया। 4 नवंबर, 1965 को कैलाश चंद और मदन मोहन ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे बाद में खरीफ 1964 से रबी 1965 तक फसलों के बारे में खातों के निपटान के लिए साझेदारी-विलेख के खंड 16 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया। इस याचिका में नंद लाल पार्टनर के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सोमनाथ के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाया गया था। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 26 अप्रैल, 1966 को अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन

किया गया था, इस आशय का कि चूंकि सोम नाथ की मृत्यु हो गई थी, साझेदारी-विलेख, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल था, उनकी मृत्यु पर समाप्त हो गया और उनकी मृत्यु के बाद की अवधि के बारे में विवाद को निपटाने के लिए कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा विवाद मध्यस्थता समझौते के बाहर होगा। यह भी कहा गया कि कथित साझेदारी-विलेख एक नकली दस्तावेज था और उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन में प्रार्थना की गई थी कि मध्यस्थता समझौते को अमान्य और निष्क्रिय घोषित किया जाए।

3. यह कहा जा सकता है कि नंद लाल ने भी कुछ इसी तर्ज पर अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

4. पंजाब विश्वविद्यालय और नंद लाल ने कैलाश चंद और मदन मोहन द्वारा लगाए गए अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका पर अपने-अपने जवाब दाखिल किए। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया गया था कि यह एक निगमित निकाय है और इसलिए भागीदारी विलेख में मध्यस्थता खंड से बाध्य नहीं है।

5. अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदनों पर कैलाश चंद और मदन मोहन द्वारा दायर जवाब में, यह उल्लेख किया गया था कि साझेदारी व्यवसाय वास्तव में साझेदारी के विलेख में निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत किया गया था जो पार्टियों के लिए वैध और बाध्यकारी था, और आगे यह कि मध्यस्थता खंड कानून में लागू करने योग्य था।

6. अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदनों में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -
    1. क्या साझेदारी विलेख, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है, एक दिखावटी लेन-देन था और याचिका में दी गई परिस्थितियों में कार्रवाई करने का इरादा नहीं था?
    2. क्या याचिका के पैरा 2 में निहित कारणों के लिए साझेदारी-विलेख बुरा है?
    3. क्या नंद लाई के हस्ताक्षर अनुचित प्रभाव में साझेदारी विलेख पर प्राप्त किए गए थे, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है और यदि हां, तो किस प्रभाव से?
    4. क्या मध्यस्थता खंड अस्पष्ट है और यदि हां, तो किस प्रभाव से?
    5. क्या सोमनाथ की मृत्यु के कारण, मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है

यदि यह माना जाता है कि एक मध्यस्थता खंड है जिसे उनके जीवनकाल में लागू किया जा सकता है?

7. इन दोनों आवेदनों पर पहले 9 जनवरी, 1968 को निर्णय लिया गया था। दोनों को खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि मध्यस्थता खंड युक्त साझेदारी-विलेख एक दिखावटी लेनदेन नहीं था, कि उक्त विलेख किसी भी आधार पर बुरा नहीं था कि इसमें निहित मध्यस्थता खंड अस्पष्ट नहीं था, कि उक्त विलेख पर नंद लाल के हस्ताक्षर अनुचित प्रभाव में प्राप्त नहीं किए गए थे और यह सवाल कि क्या सोम नाथ की मृत्यु के कारण था, कैलाश चंद और मदन मोहन द्वारा दायर अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका में विवाद में मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है या नहीं।

8. इस फैसले के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस कोर्ट में 1968 के सिविल रिवीजन नंबर 568 को दायर किया है।

9. अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका में, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए थे: -

   1. क्या सोमनाथ की मृत्यु के कारण मामले को मध्यस्थ के पास नहीं भेजा जा सकता है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

   2. क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत यह आवेदन इस तथ्य के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है कि पंजाब विश्वविद्यालय का प्रतिवादी एक कॉर्पोरेट निकाय है और एक क़ानून के तहत बनाया गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

10. इस याचिका को उसी ट्रायल जज ने 3 अप्रैल, 1968 को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि धारा 8 के तहत याचिका इस तथ्य के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है कि पंजाब विश्वविद्यालय एक कानून के तहत बनाया गया एक कॉर्पोरेट निकाय है और विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उक्त विश्वविद्यालय मध्यस्थता में प्रवेश कर सकता है। यदि कानून के तहत किसी कॉर्पोरेट निकाय को विवाद में मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति नहीं दी गई थी, तो कॉर्पोरेट निकाय के लिए ऐसा करना सक्षम नहीं था। ट्रायल जज के अनुसार, पार्टनरशिप-डीड में उक्त मध्यस्थता खंड, किसी भी तरह से

विश्वविद्यालय को बाध्य नहीं कर सकता है। मुद्दा संख्या 1 पर, उनका निष्कर्ष यह था कि क्या सोम नाथ की मृत्यु के कारण, मामले को मध्यस्थ को भेजा जा सकता है या नहीं, यह मध्यस्थ द्वारा स्वयं तय किया जाएगा।

11. इस निर्णय से व्यथित होकर कैलाश चंद और मदन मोहन ने इस न्यायालय में 1968 के आदेश संख्या 105 से प्रथम अपील दायर की है।

12. जहां तक 1968 के सिविल संशोधन संख्या 568 का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि मुद्दे संख्या 1 और 3 पर ट्रायल जज का निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद दर्ज किए गए तथ्य के शुद्ध निष्कर्ष हैं। उक्त निष्कर्ष किसी भी तरह से गलत नहीं होने के कारण, इसे पुनरीक्षण याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है । जहां तक मुद्दा संख्या 2 और 4 का संबंध है, वकील द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि साझेदारी-विलेख _ कानून में कैसे खराब था और उक्त विलेख में मध्यस्थता खंड किसी भी तरह से अस्पष्ट कैसे था। इसलिए, इन मुद्दों में भी निष्कर्षों की जांच करना संभव नहीं है। मुद्दा संख्या 5 पर आते हुए, विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया था कि दोनों पक्षों के वकील ने उनके समक्ष स्वीकार किया था कि उक्त मुद्दा अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन में कार्यवाही में नहीं उठता है और उस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उचित चरण तब होगा जब कैलाश चंद और मदन मोहन द्वारा दायर धारा 8 के तहत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसलिए, उस मुद्दे पर निष्कर्ष को विद्वान न्यायाधीश द्वारा खुला छोड़ दिया गया था। इन परिस्थितियों में, ट्रायल जज के आदेश में मेरे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। संशोधन याचिका (1968 का सिविल संशोधन संख्या 568) तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है, **लेकिन** लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

13. अब 1968 के आदेश संख्या 105 से प्रथम अपील पर आते हुए, पंजाब विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, कि अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील सक्षम नहीं थी।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस बिंदु को स्वीकार कर लिया और प्रार्थना की कि आदेश से पहली अपील को सिविल संशोधन के रूप में माना जाए और मैं, तदनुसार ऐसा करता हूं।

15. मुद्दा संख्या 2 पर ट्रायल जज का निष्कर्ष, मेरे विचार में, कानून में गलत है। पूर्ववर्ती सोम नाथ ने एक साझेदारी की थी और विलेख में मध्यस्थता खंड शामिल था। उनकी मृत्यु पर, मध्यस्थता समझौते को निर्वहन नहीं कहा जा सकता था और यह मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और उनके खिलाफ लागू करने योग्य था। अधिनियम की धारा 6 इस बिंदु पर बिल्कुल स्पष्ट है और यह कहती है कि मध्यस्थता समझौते का निर्वहन किसी भी पक्ष की मृत्यु से नहीं किया जाएगा, या तो मृतक या किसी अन्य पक्ष का सम्मान करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उसके खिलाफ लागू किया जाएगा। ऐसा होने पर, पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाफ कैलाश चंद और मदन मोहन द्वारा दायर धारा 8 के तहत याचिका सुनवाई योग्य होगी, भले ही उक्त विश्वविद्यालय एक कॉर्पोरेट निकाय था और एक क़ानून के तहत बनाया गया था। विश्वविद्यालय के वकील द्वारा इस निर्णय का गंभीरता से विरोध नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, मुद्दा संख्या 2 पर ट्रायल जज का निष्कर्ष उलट जाता है।

16. जहां तक मुद्दा संख्या 1 का संबंध है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया रुख यह था कि खरीफ 1964 से रबी 1965 तक की फसलों के खातों के निपटान से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सोम नाथ की मृत्यु के बाद की अवधि से संबंधित है और इसलिए, यह मध्यस्थता समझौते से बाहर था। ट्रायल जज ने इस तर्क को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी राय थी कि अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन में, न्यायालय केवल मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में चिंतित था और यह उसके लिए तय करना होगा कि साझेदारी व्यवसाय के मामलों से संबंधित कुछ विवाद हैं या नहीं। न्यायाधीश ने कहा कि सोम नाथ की मृत्यु का मतलब मध्यस्थता समझौते को रद्द करना नहीं था। उनके अनुसार, यह कहने का कोई मतलब नहीं था कि कौन सा विवाद साझेदारी व्यवसाय के मामलों से संबंधित है और उस उद्देश्य के लिए मध्यस्थ एकमात्र न्यायाधीश था।

17. पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, मेरी राय है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में गलत था। जब कोई पक्ष दावा करता है कि किसी विशेष विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक साथी की मृत्यु के बाद की अवधि से संबंधित है और इसलिए, यह मध्यस्थता समझौते से बाहर था, तो यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह उस मामले का फैसला करे और उस पर फैसला सुनाने के लिए मध्यस्थ पर न छोड़े। न्यायालय के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही कि किसी विशेष विवाद को कानून में निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है कि उसे इस तरह से संदर्भित किया जा सकता है। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय से समर्थित है हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई इस्पात परियोजना, भिलाई, जिला दुर्ग बनाम मेसर्स कौशल कंस्ट्रक्शन कंपनी, आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, दुर्ग, एम.पी.[I] और वहां यह माना गया कि जहां एक पक्ष ने तर्क दिया कि एक निश्चित विवाद, जिसे मध्यस्थ के समक्ष रखा गया था, मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर था, यह उसका अधिकार था कि वह अदालत द्वारा निर्धारित प्रश्न हो। इसलिए, मैं मुद्दे संख्या 1 पर ट्रायल जज के फैसले को उलट दूंगा और कहूंगा कि यह तय करना अदालत का काम है कि सोम नाथ की मृत्यु के बाद की अवधि के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा जाने वाला विवाद मध्यस्थता समझौते के भीतर आता है और साझेदारी-विलेख द्वारा कवर किया गया था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई विवाद इस तरह से कवर किया गया है, तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

18. ऊपर मैंने जो कहा है, उसके मद्देनजर, मैं ट्रायल जज को निर्देश दूंगा कि वह ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में मुद्दे नंबर 1 पर फिर से फैसला करें। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका का निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

[I] ए.आई.आर. 1966 एम.पी. 249.

सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा